



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012022-232936
CG-DL-E-27012022-232936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343]
No. 343]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 7, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/MAGHA 7, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

का.आ. 351(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1167 (अ) तारीख 10.03.2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 12.03.2021, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा गुजरात राज्य में दहेज-ऊरान पनवेल-दाबोल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

दहेज-उरान पाइपलाइन परियोजना

दहेज से उरान

राज्य गुजरात :						
जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	- आर -	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
नवसारी	जलालपुर	नांदोद	174	0	04	31
			175	0	37	95
			176	0	09	35
			177	0	38	56
			178	0	14	00
सुरत	चोर्यासी	उमबेर	256	0	23	87
			257	0	58	43
			258	0	51	71
			288	0	05	46
			289	0	15	53
			290	0	13	62
			291	0	14	50
			306	0	03	42

[फा.सं.-एल-14014/231/2021-जीपी-II/(ई-41134)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2022

S.O. 351(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. **1167 (E)** dated **10.03.2021** issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated **12.03.2021**, the Government of India declared its intention to

acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Dahej-Uran Panvel-Dhabol Natural Gas Pipeline in the State of **Gujarat** by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed of by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Dahej-uran Pipeline Project

Dahej to Uran

State : Gujrat

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
Navsari	Jalalpore	Nandod	174	0	04	31
			175	0	37	95
			176	0	09	35
			177	0	38	56
			178	0	14	00
Surat	Choryasi	Umber	256	0	23	87
			257	0	58	43
			258	0	51	71
			288	0	05	46
			289	0	15	53
			290	0	13	62
			291	0	14	50
			306	0	03	42

[F. No. L-14014/231/2021-GP-II/(E-41134)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.